न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः– सीमा खेतान आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
31/2019	26.09.2019	16.4.2025

1. जगी पत्नि बजरंगलाल जाति जाट निवारी पिपलेट तहसील खण्डार जिला स0मा0।

वादी

बनाम

1. हनुमान पुत्र बजरंगलाल जाट निवारी पिपलेट तहसील खण्डार जिला स0मा0।
2. सत्यनारायण पुत्र बजरंगलाल जाट निवारी पिपलेट तहसील खण्डार जिला स0मा0।
3. हेमलता पत्नि रामजीलाल जाट निवारी पिपलेट तहसील खण्डार जिला स0मा0।

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

श्री अंजनी कुमार तेहरिया अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

- वादीया बहुत ही बृद्ध महिला पिपलेट की रहने वाली है। जबकि प्रतिवादी सख्या 1 व2 वादीया के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 03 वादीया की पुत्र वधु है। जिन्होने एक गिरोह बना रखा है तथा अपनी मां को बेघर कर जमीन छीनने पर आमदा है।

- आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा किस्म बारानी 1 वाके ग्राम पीपलेट में स्थित है। जिसको वादीया ने दिनांक 29.6.2017 को रामकिशारे पुत्र मूडया जाति जाट से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। तब से ही वादीया उक्त आराजी को बतौर खातेदार कारत करती चली आ रही है।

- प्रतिवादीगण का उक्त जमीन से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहींहै लेकिन प्रतिवादीगण ने एक गिरोह बना रखा है तथा वादीया से उक्त जमीन छीनना चाहते है वादीया को वृद्ध अवस्था में परवरिस करना तो दूर की बात बल्कि उक्त जमीन को छीनकर कब्जा करने पर उतारू हो रहे है। जिसमें इस वर्ष मिर्च की फसल काश्त कर रखी है।

- प्रतिवादीगण एक राय होकर दिनांक [illegible] को सुबह विवादित आराजी पर आये उस समय वादीया मिर्ची [illegible] खेत की ओर आकर कहा कि उक्त जमीन में तुम्हारे द्वारा काश्त की गई फसल मिर्ची को नष्ट करेंगे [illegible] वादीया ने हाथ जोड़कर कहा कि हमारे पास अन्य जमीन हमारे पेट पालन [illegible]वा कोई साधन नहीं है ऐसा मत करो तब आस पास के लोग भी आ गये जिन्होंने भी प्रतिवादीगण को समझाया तब माने । अन्यथा वादीया की फसलको नष्ट कर देते ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 14:26:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- प्रतिवादीगण ने वादीया के पति की खातेदारी की अन्य का दान पत्र करवा लिया। इसके बाद भी इस जमीन को छीनने पर उतारू हो रहे है प्रतिवादीगण ने यह भी कहाकि तुमने हमारे पक्ष में वसीयत करदी है। लेकिन वसीयत की क्रियान्विति तो मरने के बाद होगी। अभी प्रतिवादीगण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये है ।
- वादीया को अधिकार है कि प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय में वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये । यही कारण है कि दावा करना लाजिम आया ।
- बिनाय दावा दिनांक 29.8.2019 को बयोम जमीन पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने के दिन से हर रोज उत्पन्न हुई है।दावा श्रीमान को श्रवण करने का पूरा अधिकार है। दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है ।
- दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे कि– आराजी ख0नं0 98 रकबा । बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम पिपलेट की वादीया खातेदार है प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु डिक्री जारी की जाये जिससे कि प्रतिवादीगण वादीया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की माने मजाहमत नहीं करें। दौराने दावा कब्जा करने में सफल हो जावे तो कब्जा वादीया को दिलवाया जायें । यह कि मुकदमा वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जायें ।

2. वादीया के दावा को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 03 बावजूद तामील आसलतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गई।
3. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गयें जिसमें PW1 के रूप में वादीया जगी पत्नि बजरंगलाल पेश किये गयें। जो शामिल मिशल किये गयें।
4. वकील वादीया बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीया आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा वाकें ग्राम पिपलेट की खातेदार काश्त है। जिस पर वादीया द्वारा मिर्ची की फसल बोई रखी है। अप्रार्थीगणों द्वारा वादीया की कब्जेकाश्त की भूमि में काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें इस हेतु प्रतिवादीगणो का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित होगा। वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 03 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 98 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम पिपलेट में किसी प्रकार की माने मजाहमत नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2025.09.08 14:26:30 IST
Reason: SelfAttested

(सीमा खेतान)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)